दिल्ली विकास प्राधिकरण
मास्टर प्लान अनुभाग

सार्वजनिक सूचना

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में समूह आवास परिसरों/योजनाओं के पुनर्विकास" हेतु हितधारकों की सहभागिता आमंत्रित

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान–2047 को केंद्र सरकार द्वारा 20 अगस्त, 2026 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में समूह आवास परिसरों/योजनाओं के पुनर्विकास का प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा पुराने क्षेत्रों/भवनों में सुधार एवं उनका पुनर्विकास करते हुए नियोजित तरीके से अधिक लोगों के आवास की व्यवस्था करना तथा बेहतर जलापूर्ति, सीवरेज, सड़कों, खुले स्थानों और आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है।

इस संदर्भ में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए). आरडब्ल्यूए के महासंघों तथा सहकारी समूह आवास समितियों (सीजीएचएस) के प्रतिनिधियों को अधिसूचित दिल्ली के मास्टर प्लान–2047 के संबंध में जागरूकता एवं परिचयात्मक कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आमंत्रित किया जाता है।

निवासियों तथा हितधारक संगठनों की सहभागिता से डीडीए को दिल्ली के मौजूदा शहरी क्षेत्रों के नियोजित, समावेशी तथा आधारभूत संरचना–सुविधा समर्थित पुनर्विकास के संबंध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने तथा इसे सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।

दिनांकः 14 सितंबर, 2026 (सोमवार)

समयः अपराह्न 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

स्थानः डीडीए का नीलामी सभागार, भूतल, डी–ब्लॉक, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली–110023

नोटः भाग लेने वाली सोसाइटी या समूह के केवल एक प्रतिनिधि को ही अनुमति दी जाएगी।

दिनांकः 12.09.2026

आयुक्त (योजना)

हमें @ddaofficial @official_dda @official_dda_ पर फॉलो करें।

डीडीए वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं अथवा टॉल फ्री नं. 1800 110 332 डायल करें।